

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/15/2020

प्रवेश तिथि 17.02.2020

अपीलार्थी

श्री रविन्द्र सिंह,  
निवासी यूनिट नं. 502, लुहाड़िया टॉवर,  
अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड  
अधिकारी राजगढ़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
निर्णय



दिनांक: 16.03.2020


1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 02.11.2019 पर प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में यदि किसी भूमि को अवाप्त किया जाता है और उसके संबंध में मुआवजा/अवॉर्ड पारित किया जाने तक की कार्यवाही से अवगत करवाये। अवॉर्ड राशि सम्पत्ति के स्वामी को किस आधार पर प्रदत्त की जाती है, की प्रक्रिया से अवगत करवाने हेतु लिखा गया।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक: 02.11.2019 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 07.02.2020 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम.द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2020/227-28 दिनांक: 17.02.20 के माध्यम तलब कर दिनांक: 24.02.2020 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्र दिनांक: 24.02.2020 के माध्यम से स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यर्थी उप0 नहीं हुआ।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया तथा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद

2-2  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अलवर (राज0)

भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ज में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।

7. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 02.11.2019 में वांछित सूचना, उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को बिन्दूवार उपलब्ध कराई जावे।
8. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, सुनिश्चित करें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित ।



  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज0)